[TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE-EXTRAORDINARY]

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS & WIDLIFE VI-LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT I.P. ESTATE, NEW DELHI – 110002.

F. No.R.96/TO(S)/TC-Felling/14-15/2029-36

Dated: 18/6/14

NOTIFICATION

Whereas the Government of National Capital Territory of Delhi considers it necessary to do so in the public interest,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby exempts an area of total 2.023 ha. (approx) as detailed below for construction of District Court Complex, Rouse Avenue, DDU Marg, New Delhi by Public Works Department, Govt. of NCT of Delhi, from the provision of Sub-Section (3) of Section 9 of the said Act

SI. No.	Location	Extent of Area (ha.)	No. of trees required to be removed	Compensatory plantation required (No. of trees)
1	District Court Complex, Rouse Avenue, DDU Marg, New Delhi.	2.023 (approx)	129	1290
-		Total	129	1290



The exemption is subject to fulfillment of the following conditions:

The applicant shall make an advance deposit of an amount of Rs. 41,53,800 /- (Rupees Forty One Lakh Fifty Three Thousand Eight Hundred Only) for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of 5 (five) years as follows:

Project No.	No. of Saplings to be Planted (No. of trees)	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.)	To be Deposited with Forest Division
1	1290	41,53,800 /-	DCF (South)/Tree Officer

- b) The compensatory plantation will be raised and maintained for 5 (five) years i.e. 50% compensatory plantation site identified near Millennium Park and Park & ride facility park where 645 trees saplings of indigenous species are proposed to be planted by the Forests Department, Balance 50% compensatory plantation of 645 saplings will be done by User Agency i.e. PWD on the same site.
- The wood obtained on removal of trees shall be handed over by the PWD to the officials concerned of MCD for its use on public crematoria in Delhi in consultation with the territorial DCF.
- d) Before shifting of wood from site of removal of trees, transportation permission for transportation of the said wood shall be obtained from Tree Officer (South)

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Sanjiv Kumar)

Secretary (Env. & Forests)

Dated: 18/6/14

F. No.R.96/TO(S)/TC-Felling/14-15/2029 - 36

Copy forwarded to:-

The Pr. Secretary to Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi, Raj Niwas, Delhi.

2. The Pr. Secretary to the Chief Minister Govt. of NCT of Delhi.

3. The Pr. Secretary (Law, Justice & L.A.), Govt. of NCT of Delhi Sectt., New Delhi. 4.

The Addl. Pr. Chief Conservator of Forests, Govt. of NCT of Delhi, New Delhi.

The Executive Engineer, Building Project Division, B-123, PWD, GNCTD, Delhi Police Housing 5. Project, Harsh Vuhar, Mandoli, New Delhi-110093. 6.

The Dy. Conservator of Forests (South), South Forest Division, Near Dr. Karni Singh Shooting Range, Tughlakabad, New Delhi-110044, Delhi for information and necessary action.

The Deputy Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi Sectt., New Delhi with Hindi version (two copies each) for publication in the Delhi Gazette Part IV - Extraordinary and with the request to supply at least 10 copies of the Gazette to this Department for necessary action and record.

8. Guard file

(Sanjiv Kumar)

Secretary (Env. & Forests)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग—चार में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग छठा तल, 'सी' विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.ईस्टेट, नई दिल्ली—02

फा.स. आर (96) / टी.ओ. (एस.) / टी. सी. फेलिंग /14-15/2029-36

दिनॉक:- 18/6/14

अधिसचना

जबिक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती हैं,

अतः अब दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, लोक निर्माण विभाग द्वारा जिला न्यायालय परिसर, राजस अवेन्यू, डी.डी.यू मार्ग, नई दिल्ली में निर्माण हेतू नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 2.023 हैक्टेयर (लगभग) क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधों से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है।

क्रम सं.	स्थान	क्षेत्र का विस्तार (हैक्ट0)	हटाए जाने वाले वृक्षों की संख्या	अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
1.	राउस अवेन्यू, डी.डी.यू मार्ग, नई दिल्ली	2.023 (लगभग)	129	1290
		कुल योग	129	1290

H 5919 gnic

यह छूट निम्नलिखित शर्तो के अधीन है।

आवेदक को पाँच वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 41,53,800 / —रूपये (इकतालिस लाख तिरेपन हजार आठ सौ रूपये मात्र) की राशि अग्निम रूप में जमा करवानी होगी। (de)

वन प्रभाग में जमा कराई जाए	उप-वन संरक्षक (दक्षिणी)
अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	一 41,53,800 /一
लगाए जाने वाले पौधो की संख्या	1290
परियोजना संख्या	1.

- वन विभाग द्वारा 50 प्रतिशत स्वदेशी प्रजातियों के 646 पोधों का मिलेनियम पार्क एवम उद्यान और राइड फेसिलिटी पार्क में प्रतिपूरक युक्षारोपण किया जाएगा तथा उनका पाँच वर्षों तक स्वयस्वाव किया जाएगा और शेष 50 प्रतिशत अर्थात 645 पोधों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण उपमोगी संस्था द्वारा उसी स्थान पर किया जाएगा। उप-वन संरक्षक के परामर्श से वृक्षों को काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ी लोक निर्माण विभाग द्वारा दिल्ली नगर निगम के संबधित कर्मचारियों को सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाए। वृक्ष काटे जाने के स्थल से तकड़ी ले जाने से पूर्व उक्त लकड़ियों की बुलाई के लिए वृक्ष अधिकारी (दक्षिणी) से दुलाई अनुमित प्राप्त करनी होगी। (<u>a</u>
 - E
- (田)

MICH RIFIT

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

(संजीव कुमार) सचिव (पर्यावरण वन एवं वन्य जीव)

फा.स. आर (७६) / टी.ओ. (एस.) / टी. सी. फेलिंग /14-15 **| 2029 - 36**

दिनॉक:- 18/6/14

प्रतिलिप निम्म को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:—

1. प्रधान सचिवं, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार, दिल्ली।

2. प्रधान सचिवं, माननीय पुट्यमंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली।

3. प्रधान सचिवं, विधि एवं न्याय विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली।

4. अतिरेक्त प्रधान मुख्य संरक्षक वन, दिल्ली सरकार, दिल्ली।

5. कार्यपालक अभियन्ता, परेयोजना मंडल भवन, बी—123, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।

6. उप—वन संरक्षक दिल्ली। दिल्ली। वन विभाग, दुगलकाबाद, नई दिल्ली—110044 आवश्यक सूचनार्थ एंव जांच हेतू ।

7. उप सचिवं (सामान्य प्रधासन विभाग), दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग—4 में प्रकाशनार्थ दो प्रतियां (प्रत्येक की)। इस अधिसूचना की कम्द के के म 10 प्रतियां सरकारी प्रयोग के लिए इस विभाग को आवश्यक कार्यवाई एवं अभिलेख के लिए मिजवाने का कष्ट करें।

Kister 3111

(संजीव कुमार) सिंचेव (पर्यावरण वन एवं वन्य जीव)